बनाम

रामप्रकाश / मोहन

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय

केस संख्या GOR - 165/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	~~15/11/25~~ 28/3/25	~~पत्रावली पेश हुई। पक्षकार~~ वकील वादी और अधिवक्ता दिनांक 14/12/2024 के अनुसार प्रतिवादी सत्यनारायण जीतमणी, अधिवक्ता दिनांक 20/12/23 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01/07 हेतु रिट प्रस्तावना व वादी हित अन्यान्य पेश करने आवेदन प्रस्तुत किया गया। बावजूद वकील वादी और प्रतिवादी जीतमणी के विरुद्ध रजि. A.D. तामील करवायी जानी थी परन्तु तामील न करवाकर वादी इसी उपरान्त भी वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध केवल रजि. A.D. तामील / संशोधित आवेदन, हेतु रिट प्रस्तावना की गयी। बावजूद वकील वादी इसके डाक खर्च जमा में विफल रहे हैं। अतः वकील वादी को वाद आदेश 09 नियम 02 के तहत खारिज नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। फैसला सुनाया जाकर सावित किया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम [illegible]

सहायक कलक्टर
[illegible] शहर प्रथम

संख्या 91(ब) - 99/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/3/25.	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी है। वादी ने यह दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा - 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया है। प्रतिवादी सं० -1 के विरुद्ध दिनांक 10.01.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं० 2 व 3 (तरतीबी प्रतिवादीगण) ने जबावदावा पेश किया, जो कि शामिल मिसल है। वादी ने वाद-पत्र के पैरा नं- 16(क) में यह अनुतोष चाहा है	

सहायक कलक्टर

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम सिद्धलाल वगै०

सहायक कलक्टर
नाम न्यायालय: जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 6147 99/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	26/3/25	कि वाद, वादी बाबत घोषणा विरुद्ध प्रतिवादी सं-1 डिक्री किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 22.09.1970 को खसरा नम्बर 255 रकबा -15 बिस्वा. ग्राम निवारु, तहसील व जिला-जयपुर की हद तक बमुकाबले अधिकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं-2 व 3 प्रभाव शुन्य घोषित किया जावे तथा वादी गणं व प्रतिवादी सं.-2 व 3 को उक्त आराजी में 1/2-1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त भी किया जावे।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम छोटेलाल

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

संख्या ५(ग) - 99/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/3/25.	वादी के वाद-पत्र, प्रतिवादीगण के जबावदावा एवं उभयपक्षकारान् द्वारा पेश लिखित बहस के अवलोकन एवं मनन करने पर हम पाते हैं कि वाद में एक विधिक विवाधक है कि 'क्या इस न्यायालय द्वारा विक्रय-पत्र को शून्य घोषित किया जा सकता है।' उक्त विवाधक को निम्नानुसार निर्णीत किया जा रहा है। धारा-207, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, राजस्व न्यायालयों की विधिक क्षेत्राधिकारिता (legal Jurisdiction) तय करता है। धारा-207 राज० काश्तकारी अधिनियम	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम मोहनलाल व अन्य

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय

संख्या 6/07 - 99/22

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/3/25	में प्रावधित है कि तृतीय अनुसूची (III schedule) में निर्दिष्ट समस्त वाद तथा प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा किया जावेगा। तृतीय अनुसूची, राज० काश्तकारी अधिनियम में कहीं उल्लेख नहीं है कि विक्रय-पत्र को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत वाद-पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। उक्तानुसार यह विधिक विवाद्यक वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है। वादी ने अपने वाद-पत्र

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

जमील बनाम सोहनलाल वगै०

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

6009 - 99/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
26/3/25	के मद सं- 16 में विक्रय-पत्र को शून्य घोषित करवाने के अतिरिक्त दूसरा अनुतोष खातेदारी घोषणा का चाहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि Adverse Possession (प्रतिकूल कब्जे) के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की ~~जाना~~ जा सकती है। सारतः वादीगणों द्वारा चाहा गया पहला अनुतोष न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के बाहर है और दूसरा अनुतोष विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम सोहनलाल वगै.

सहायक कलक्टर
नाम न्यायालय जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 6/09 - 29122

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	26/3/25	है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम